

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र./शि.क./एडी/अजिनि संवि./59/2008/ 180

भोपाल, दिनांक 19/9/08

:: आदेश ::

अध्यापक संवर्ग में अन्तर्जिला निकाय के अन्तर्गत संविलियन हेतु मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश/ज्ञाप दिनांक 08/11/05, 21/12/05 एवं 26/04/08 के द्वारा अध्यापक संवर्ग में नियुक्त/संविलियित महिला अथवा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता तथा परस्पर (Mutual) के आवेदक को अन्तर जिला एक निकाय से अन्य निकाय में संविलियन की अनुमति के प्रावधान हैं ।

2/ नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा अध्यापक संवर्ग के वरिष्ठ अध्यापकों को विषयमान से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सहमति के आधार पर रिक्त पदों पर अन्तर्जिला संविलियन की अनुमति दिये जाने का निर्णय बैठक दिनांक 19.09.08 को लिया गया है ।

3/ शासन के उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार अध्यापक संवर्ग के निम्नांकित तालिका के कालम-2 के आवेदको को उनके मूल पद, वेतनमान एवं विषयमान से वरिष्ठ अध्यापक तथा कालम-3 एवं 4 में संबंधित अन्तर जिला निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सहमति के आधार पर कालम-4 में उल्लेखित शाला में रिक्त पद पर संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सहमति के आधार पर
1	2	3	4
1	श्रीमती दीप्ति दुबे वरिष्ठ अध्यापक (भौतिक) शा. उमावि बागरातवा जिला-होशंगाबाद	जिला पंचायत होशंगाबाद जिला-होशंगाबाद जा.क्र. 5530, दि. 28.07.08	नगर पालिक निगम भोपाल जिला-भोपाल जा.क्र. 75, दि. 05.08.08 शा. उमावि अरेश कॉलोनी
2	श्रीमती उपासना गुप्ता, वरिष्ठ अध्यापक (गणित), शा. उत्कृष्ट उमावि सेवड़ा, जिला-दतिया	नगर पंचायत सेवड़ा जिला-दतिया जा.क्र. 384, दि. 04.07.08	नगर पालिक निगम, भोपाल जिला-भोपाल जा. क्र. 100, दि. 07.08.08 शा. उमावि मालीखेड़ी (नगर निगम की सहमति के आधार पर)

3	श्री दिनेश कुमार मॉझी (विकलांग) वरिष्ठ अध्यापक (गणित) शा. क. उमावि उदयपुरा जिला-रायसेन	नगर पंचायत उदयपुरा जिला-रायसेन जा.क्र. 1036, दि. 13.08.08	नगर पालिक निगम भोपाल जिला-भोपाल जा.क्र. 109, दि. 08.08.08 शा उमावि लक्ष्मीमण्डी
4	श्रीमती संध्या मेश्राम, वरिष्ठ अध्यापक (जीवविज्ञान) शा.उ.मा.वि.डोबी जिला-सीहोर	जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र.5076 दि.14.07.08	नगर पालिका निगम भोपाल जिला भोपाल जा.क्र.58 दि. 05.08.08 शा. उमावि मालीखेड़ी (नगर निगम की सहमति के आधार पर)
5	श्रीमती भारती मिश्रा, वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) शा. उमावि पिपरई, जिला-अशोकनगर	जिला पंचायत अशोकनगर जिला-अशोकनगर जा.क्र. 3665, दि.28.06.08	नगर पालिक निगम, भोपाल जिला-भोपाल जा. क्र. 13, दि. 02.08.08 शा. उमावि अरोरा कॉलोनी
6	श्रीमती पुष्पांजली एस.नागौत्रा, वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) शा.उ.मा.वि.सांवरी बाजार जिला छिन्दवाड़ा	जिला पंचायत छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा जा.क्र. 3268 दि. 01.08.08	नगर पालिक निगम, भोपाल जा.क्र.120 दि. 12.08.08 शा.उ.मा.वि.आनंदनगर
7	श्रीमती मनीषा राजपूत, वरिष्ठ अध्यापक (रसायन) शा. उमावि सलामतपुर, जिला-रायसेन	जिला-पंचायत रायसेन जिला-रायसेन जा.क्र. 3472, दि.07.08.08	नगर पालिक निगम, भोपाल जिला-भोपाल जा. क्र. 77, दि. 05.08.08 शा. उमावि मालीखेड़ी (नगर निगम की सहमति के आधार पर)
8	श्रीमती अर्चना शर्मा वरिष्ठ अध्यापक (भौतिक) शा. क.उमावि पिपरिया जिला-होशंगाबाद	नगर पालिका परिषद पिपरिया जिला-होशंगाबाद जा.क्र. क्यू दि. 08.08.08	नगर पालिक निगम, भोपाल जिला-भोपाल जा.क्र. 114, दि 08.08.08 शा. उमावि चांदबड़ (नगर निगम की सहमति के आधार पर)
9	श्रीमती रेनुका शेहर वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) शा. उमावि मनपुरा जिला-शिवपुरी	जिला पंचायत शिवपुरी जिला-शिवपुरी जा.क्र. 4914, दि. 03.06.08	नगर पालिक निगम, भोपाल जिला-भोपाल जा.क्र. 54, दि 05.08.08 शा. उमावि आनन्द नगर
10	श्रीमती रागिनी शर्मा वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) शा. उमावि बनापुरा सिवनी मालवा जिला-होशंगाबाद	नगर पालिका परिषद सिवनी मालवा जिला-होशंगाबाद जा.क्र. 350, दि. 17.04.07	नगर पालिक निगम, भोपाल जिला-भोपाल जा.क्र. 130, दि. 18.08.08 शा. उमावि लक्ष्मी मंडी
11	श्रीमती सीमा चौरसिया वरिष्ठ अध्यापक (अर्थशास्त्र) शा. उमावि सिरोंज जिला विदिशा	नगर पालिका परिषद सिरोंज जिला-विदिशा जा.क्र.685 दि.09.05.08	नगर पालिक निगम भोपाल जिला-भोपाल जा.क्र. 129 दि.18.08.08 शा. उमावि चांदबड़

3/ उपरोक्त तालिका के कालम-2 में उल्लेखित आवेदकों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अन्तर जिला निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उनका संविलियन निम्नलिखित शर्तों के अधीन मान्य रहेगा :-


1. संविलियन की अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित अन्तर जिला निकाय के लिये ही मान्य होगी ।





2. अन्तर जिला निकाय में संविलियन की अनुमति परस्पर (Mutual) अथवा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले पुरुष वर्ग के लिए ही मान्य होगी ।
3. संबंधित वरिष्ठ अध्यापक को उसके मूल पद, वेतनमान, यदि विषयमान से नियुक्त है तो उस विषय की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित अन्तर जिला निकाय की शाला में संविलियन की अनुमति मान्य होगी ।
4. ऐसे वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित अन्तर जिला निकाय जिसमें संविलियन की अनुमति दी गई है, उस निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सहमति दी गई है। संविलियन निकाय द्वारा पदांकन के आदेश जारी होने तथा जारी आदेश को वर्तमान कार्यरत निकाय में प्रस्तुत करने पर ही कार्यरत संस्था से कार्य मुक्त हो सकेंगे।
5. ऐसे वरिष्ठ अध्यापक जिन्हें 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता के आधार पर संविलियन की अनुमति दी गई है उनके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन की अनुमति मान्य होगी ।
6. ऐसे वरिष्ठ अध्यापक को अन्तर जिला निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की गई है तथा अन्तर जिला निकाय में उनके द्वारा कार्य भार कर लिया है तो उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निकाय में पूर्व कार्यरत व्यक्तियों के नीचे वरिष्ठता क्रम में वरिष्ठता मान्य होगी ।
7. अध्यापक संवर्ग में शिक्षाकर्मियों का संविलियन अथवा संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति आदेश की पुष्टि होने पर ही अन्तर जिला निकाय में संविलियन मान्य होगा ।
8. ऐसे वरिष्ठ अध्यापक जिनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
9. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यक्षीन की गई है। अतः संविलियन की अनुमति भी उल्लेखित न्यायालयीन निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी ।
10. ऐसे वरिष्ठ अध्यापक जिन्हें तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित अन्तर जिला निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के जावक क्रमांक एवं दिनांक/सहमति के आधार पर संबंधित निकायों द्वारा अपने कार्यालयीन अभिलेख से सुनिश्चित करने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति मान्य रहेगी।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 19/9/08

पृष्ठा. क्र./शि.क./एडी/अजिनि संवि./59/2008/ 181



प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल ।
4. संबंधित जिला-कलेक्टर (उपर्युक्त तालिका के कालम-3 एवं 4 अनुसार) मध्यप्रदेश।



निम्नानुसार संस्थाओं की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उपरोक्त अन्तर जिला निकाय संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा करने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति प्रभावशील होगी :-

5. आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल जिला भोपाल मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (उपर्युक्त तालिका के कालम-3 एवं 4 अनुसार अंकित हो तो) मध्यप्रदेश।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (उपर्युक्त तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित जिले अनुसार) मध्यप्रदेश की ओर उक्त निर्देशों के अतिरिक्त संविलियन आदेश की प्रति अपने जिले से संबंधित निकायों को उपलब्ध करावें।
8. संबंधित जनपद पंचायत (उपर्युक्त तालिका के कालम-3 एवं 4 अनुसार अंकित हो तो) मध्यप्रदेश।
9. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (उपर्युक्त तालिका के कालम-3 एवं 4 अनुसार अंकित हो तो) मध्यप्रदेश।
10. संबंधित सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश (उपर्युक्त तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित जिले अनुसार अंकित हो तो)
11. संबंधित संकुल प्राचार्य (उपर्युक्त तालिका के कालम- एवं 4 में अंकित जिले अनुसार) मध्यप्रदेश की ओर उक्त निर्देशों के अतिरिक्त अपने संकुल में संविलियन किये वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की सेवापुस्तिका में संविलियन आदेश की पृविष्टि सुनिश्चित करें तथा आवश्यक अभिलेखों की पृष्टि भी कर ली जावें। यदि कोई विपरीत स्थिति पायी जाती है तो संबंधित निकाय को आवश्यक अभिलेखों के साथ संविलियन निरस्तीकरण का प्रस्ताव उचित माध्यम से प्रेषित किया जावे।
12. संबंधित वरिष्ठ अध्यापक की ओर सूचनार्थ।

  
19/9/08  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  


लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./०५३/२००८/१५३

भोपाल, दिनांक- २२-९-०८

//आदेश//


म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ १-४९/२००८/२०-१ दिनांक - २६.४.०८ में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-८.११.२००५ एवं २१.१२.२००५ के अनुक्रम में महिला, तथा ४० प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक एक में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक दो तथा तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र	अध्यापक संवर्ग का नाम, एवं कार्यरत शाला का नाम (वरि.अध्या./अध्या./सहा.अध्यापक)	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
1	2	3	3
1	श्रीमती उषा शर्मा सहायक अध्यापक शा.केन्द्रीय प्राठशाला हरपालपुर जिला छतरपुर	नगर पंचायत हरपालपुर जिला छतरपुर जा.क्र. ३२० दि. १६.०४.०८	जनपद पंचायत सागर जिला सागर जा.क्र. ३२५० दि. १०.०९.०८ शा.प्रा.शा. सिमरिया शा.प्रा.शा. किसनपुरा
2	श्रीमती विभा जोशी अध्यापक शा.क.उ.मा.वि. महिदपुर जिला उज्जैन	नगर पालिका महिदपुर जिला उज्जैन जा.क्र. १६३४ दि. १२.०९.०८	नगर पंचायत राजगढ़ जिला राजगढ़ जा.क्र. १५२७ दि. १९.०९.०८ शा.क.उ.मा.वि. राजगढ़
3	श्रीमती संगीता कोरसिया अध्यापक शा.मा.वि. देदला जिला धार	जनपद पंचायत मनावर जिला धार जा.क्र. ५३७९ दि. ११.०९.०८	जनपद पंचायत छैगांवमाखन जिला खण्डवा जा.क्र. २८६६ दि. २७.०८.०८ शा.उ.मा.वि. छैगांवमाखन
4	श्रीमती अर्चना वर्मा सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. गोरखपुर कला जिला सिवनी	जनपद पंचायत सिवनी जिला सिवनी जा.क्र. २३६ दि. १८.०७.०८	जनपद पंचायत औरई जिला छिंदवाड़ा जा.क्र. ४४२ दि. १८.०७.०८ शा.प्रा.शा. केवलारीसंभा शा.प्रा.शा. नवेगांवमकरिया
5	श्रीमती संगीता गोगरी अध्यापक शा.मा.वि. लोटियाजुनार्दा जिला उज्जैन	जिला पंचायत उज्जैन जिला उज्जैन जा.क्र. ५६२३ दि. ३०.०७.०८	जनपद पंचायत देपालपुर जिला इंदौर जा.क्र. २६७१ दि. ०६.०९.०८ शा.हाईस्कूल कालीबिल्लोद
6	श्रीमती विजयालक्ष्मी अहिरवार अध्यापक शा.क.उ.मा.वि. पाडल्यमाता जिला राजगढ़	जिला पंचायत राजगढ़ जिला राजगढ़ जा.क्र. ४७२ दि. ०८.०७.०८	जिला पंचायत रायसेन जिला रायसेन जा.क्र. ४१४७ दि. ०९.०९.०८ शा.हाईस्कूल इटार्योकला
7	श्रीमती फूलवती अहिरवार सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. मधपुरा जिला पन्ना	जनपद पंचायत पवई जिला पन्ना जा.क्र. ३०३९ दि. २८.०८.०८	नगर पंचायत पलेरा जिला टीकमगढ़ जा.क्र. २८९ दि. ०६.०८.०८ शा.प्रा.शा. कन्या पलेरा शा.प्रा.बा. पलेरा
8	श्रीमती आशा युवने सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. जमनापुर जिला खण्डवा	जनपद पंचायत खालवा जिला खण्डवा जा.क्र. ८७५ दि. १९.०६.०८	जनपद पंचायत खिरकिया जिला हरदा जा.क्र. १२५८ दि. १६.०७.०८ शा.प्रा.शा. नानीमकडाई
9	श्रीमती प्रेमलता आठ्या (चिडार) अध्यापक शा.मा.वि. बूढ़ापुरा जिला सागर	जिला पंचायत सागर जिला सागर जा.क्र. ५० दि. १२.०८.०८	जनपद पंचायत विदिशा जिला विदिशा जा.क्र. २३०४ दि. ०४.०९.०८ शा.क.मा.शा. अहमदपुर शा.मा.शा. गाजीखेड़ी

संविलियन की शर्तें -


1. यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित संविलियन निकाय के की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका क्र. 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/जावेक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक- 22.9.08

पृष्ठा क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./053/2008/154  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी ..... एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।

  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./002/2008/ 155

भोपाल, दिनांक- 22/09/08

//आदेश//

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक - 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक एक में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक दो तथा तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र	अध्यापक संवर्ग का नाम, एवं कार्यरत शाला का नाम (परि.अध्या./अध्या./सहा.अध्यापक)	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्रीमती संजीता संसिया (छारी) सहायक अध्यापक शास.प्रा.शाला. करी जिला छतरपुर	जनपद पंचायत बिजावर जिला छतरपुर जा.क्र.1639 दिं. 4.7.08	जनपद पंचायत मुरार जिला ग्वालियर जा.क्र. 4131 दिं. 22.08.08 शास.क.प्रा.वि.मोहनपुर
2-	श्रीमती रचना शर्मा अध्यापक शास.क.उमावि. सनावद जिला खरगोन	नगर पालिका परिषदसनावद जिला खरगोन जा.क्र. 494 दिं. 13.6.08	जिला पंचायत जिला इंदौर जिला इंदौर जा.क्र. 5133 दिं. 25.6.08 शास.हाईस्कूल माचल

संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों।
4. तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित संविलियन निकाय के की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।



elaven np

10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका क्र 2 एवं 3 में अंकित निकायो द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित



उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक- 22/09/08

पृष्ठा. क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./002/2008/ 156  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी .....एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ।



उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

:: आदेश ::

अध्यापक संवर्ग में अन्तर्जिला निकाय के अन्तर्गत संविलियन हेतु मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश/ज्ञाप दिनांक 08.11.05, 21.12.05 एवं 26.04.08 के द्वारा महिला अथवा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता तथा परस्पर (Mutual) के आवेदक को अन्तर जिला एक निकाय से अन्य निकाय में संविलियन की अनुमति के प्रावधान हैं ।


2/ नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा अध्यापक संवर्ग के सहायक अध्यापक (उर्दू) से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सहमति तथा जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल द्वारा उपलब्ध कराई रिक्त पदों की जानकारी के आधार पर अन्तर्जिला संविलियन की अनुमति दिये जाने का निर्णय बैठक दिनांक 19.09.08 को लिया गया है ।

3/ शासन के उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार अध्यापक संवर्ग के निम्नांकित तालिका के कालम-2 के सहायक अध्यापक (उर्दू) को उनके मूल पद, वेतनमान एवं विषयमान से कालम-3 एवं 4 में संबंधित अन्तर जिला निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सहमति के आधार पर कालम-4 में उल्लेखित शाला में रिक्त पद पर संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती नसरत अहमद, सहायक अध्यापक (उर्दू), शा. कन्या हाईस्कूल गौहरगंज, जिला-रायसेन	जनपद पंचायत औबैदुल्लागंज जिला-रायसेन जा.क्र.क्यू., दि. 28.06.08	नगर पालिक निगम, भोपाल जिला-भोपाल जा. क्र. 282, दि. 25.06.08 शा. मावि अशोकनगर
2	श्रीमती परवीन बेगम सहायक अध्यापक (उर्दू) शा. मौलाना आजाद उर्दू मीडियम मावि नसरुल्लागंज जिला-सीहोर	जनपद पंचायत नसरुल्लागंज जिला-सीहोर जा.क्र.175 दि.24.03.08	नगर पालिक निगम भोपाल जिला-भोपाल जा.क्र. 329 दि.08.07.08 शा.क.मावि चांदबड़

3/ उपरोक्त तालिका के कालम-2 में उल्लेखित आवेदकों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अन्तर जिला निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उनका संविलियन निम्नलिखित शर्तों के अधीन मान्य रहेगा :-

1. संविलियन की अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित अन्तर जिला निकाय के लिये ही मान्य होगी ।
2. अन्तर जिला निकाय में संविलियन की अनुमति परस्पर (Mutual) अथवा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले पुरुष वर्ग के लिए ही मान्य होगी ।
3. संबंधित सहायक अध्यापक (उर्दू) को उसके मूल पद, वेतनमान, यदि विषयमान से नियुक्त है तो उस विषय की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित अन्तर जिला निकाय की शाला में संविलियन की अनुमति मान्य होगी ।
4. ऐसे सहायक अध्यापक (उर्दू) को संबंधित अन्तर जिला निकाय जिसमें संविलियन की अनुमति दी गई है, उस निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सहमति दी गई है। संविलियन निकाय द्वारा पदांकन के आदेश जारी होने तथा जारी आदेश को वर्तमान कार्यरत निकाय में प्रस्तुत करने पर ही कार्यरत संस्था से कार्य मुक्त हो सकेगा।
5. ऐसे सहायक अध्यापक (उर्दू) जिन्हें 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता के आधार पर संविलियन की अनुमति दी गई है उनके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन की अनुमति मान्य होगी ।




6. ऐसे सहायक अध्यापक (उर्दू) को अन्तर जिला निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की गई है तथा अन्तर जिला निकाय में उनके द्वारा कार्य भार कर लिया है तो उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निकाय में पूर्व कार्यरत व्यक्तियों के नीचे वरिष्ठता क्रम में वरिष्ठता मान्य होगी ।
7. अध्यापक संवर्ग में शिक्षाकर्मियों का संविलियन अथवा संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति आदेश की पुष्टि होने पर ही अन्तर जिला निकाय में संविलियन मान्य होगा ।
8. ऐसे सहायक अध्यापक (उर्दू) जिनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
9. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है। अतः संविलियन की अनुमति भी उल्लेखित न्यायालयीन निर्णय के अध्याधीन रहेगी ।
10. ऐसे सहायक अध्यापक (उर्दू) जिन्हें तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित अन्तर जिला निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के जावक क्रमांक एवं दिनांक/सहमति के आधार पर संबंधित निकायों द्वारा अपने कार्यालयीन अभिलेख से सुनिश्चित करने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति मान्य रहेगी ।


आयुक्त द्वारा अनुमोदित

पृष्ठा. क्र./शि.क./एडी/अंजिनि संवि./61/2008/ 207

प्रतिलिपि :-

  
 उप संचालक  
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
 भोपाल, दिनांक 22/9/08

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. जिला-कलेक्टर,, रायसेन, सीहोर एवं भोपाल मध्यप्रदेश ।  
निम्नानुसार संस्थाओं की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उपरोक्त अन्तर जिला निकाय संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा करने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति प्रभावशील होगी :-
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम भोपाल, जिला भोपाल मध्यप्रदेश ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायसेन, सीहोर एवं भोपाल मध्यप्रदेश ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी रायसेन, सीहोर एवं भोपाल मध्यप्रदेश ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, रायसेन, सीहोर एवं भोपाल मध्यप्रदेश ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, औबेदुल्लागंज, जिला-रायसेन मध्यप्रदेश ।
9. संबंधित संकुल प्राचार्य (उपर्युक्त तालिका के कालम- एवं 4 में अंकित शाला/जिले अनुसार) मध्यप्रदेश की ओर उक्त निर्देशों के अतिरिक्त अपने संकुल में संविलियन किये सहायक अध्यापक (उर्दू) की सेवापुस्तिका में संविलियन आदेश की पृष्टि सुनिश्चित करें तथा आवश्यक अभिलेखों की पृष्टि भी कर ली जावे । यदि कोई विपरीत स्थिति पायी जाती है तो संबंधित निकाय को आवश्यक अभिलेखों के साथ संविलियन निरस्तीकरण का प्रस्ताव उचित माध्यम से प्रेषित किया जावे ।
10. संबंधित सहायक अध्यापक (उर्दू) की ओर सूचनार्थ ।

  
 उप संचालक  
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

:: आदेश ::

अध्यापक संवर्ग में अन्तर्जिला निकाय के अन्तर्गत संविलियन हेतु मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश/ज्ञाप दिनांक 08.11.05, 21.12.05 एवं 26.04.08 के द्वारा महिला अथवा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता तथा परस्पर (Mutual) के आवेदक को अन्तर जिला एक निकाय से अन्य निकाय में संविलियन की अनुमति के प्रावधान हैं ।

2/ नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा अध्यापक संवर्ग के सहायक अध्यापक से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सहमति तथा जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल द्वारा उपलब्ध कराई रिक्त पदों की जानकारी के आधार पर अन्तर्जिला संविलियन की अनुमति दिये जाने का निर्णय बैठक दिनांक 19.09.08 को लिया गया है ।

3/ शासन के उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार अध्यापक संवर्ग के निम्नांकित तालिका के कालम-2 के सहायक अध्यापक को उनके मूल पद, वेतनमान एवं विषयमान से कालम-3 एवं 4 में संबंधित अन्तर जिला निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सहमति के आधार पर कालम-4 में उल्लेखित शाला में रिक्त पद पर संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती अनिता नंदमेहर सहायक अध्यापक नगर पालिका मावि टिमरनी जिला-हरदा	नगर पंचायत टिमरनी जिला-हरदा जा.क्र. 265 दि. 04.07.08	नगर पालिका परिषद कोलार जिला-भोपाल जा.क्र.निरंक दि.03.07.08 शा.प्रावि सेमरीकलां

3/ उपरोक्त तालिका के कालम-2 में उल्लेखित आवेदकों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अन्तर जिला निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उनका संविलियन निम्नलिखित शर्तों के अधीन मान्य रहेगा :-

1. संविलियन की अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित अन्तर जिला निकाय के लिये ही मान्य होगी ।
2. अन्तर जिला निकाय में संविलियन की अनुमति परस्पर (Mutual) अथवा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले पुरुष वर्ग के लिए ही मान्य होगी ।
3. संबंधित सहायक अध्यापक को उसके मूल पद, वेतनमान, यदि विषयमान से नियुक्त है तो उस विषय की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित अन्तर जिला निकाय की शाला में संविलियन की अनुमति मान्य होगी ।
4. ऐसे सहायक अध्यापक को संबंधित अन्तर जिला निकाय जिसमें संविलियन की अनुमति दी गई है, उस निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सहमति दी गई है। संविलियन निकाय द्वारा पदांकन के आदेश जारी होने तथा जारी आदेश को वर्तमान कार्यरत निकाय में प्रस्तुत करने पर ही कार्यरत संस्था से कार्य मुक्त हो सकेंगे।
5. ऐसे सहायक अध्यापक जिन्हें 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता के आधार पर संविलियन की अनुमति दी गई है उनके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन की अनुमति मान्य होगी ।
6. ऐसे सहायक अध्यापक को अन्तर जिला निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की गई है तथा अन्तर जिला निकाय में उनके द्वारा कार्य भार कर लिया है तो उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निकाय में पूर्व कार्यरत व्यक्तियों के नीचे वरिष्ठता क्रम में वरिष्ठता मान्य होगी ।
7. अध्यापक संवर्ग में शिक्षाकर्मियों का संविलियन अथवा संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति आदेश की पुष्टि होने पर ही अन्तर जिला निकाय में संविलियन मान्य होगा ।

8. ऐसे सहायक अध्यापक जिनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
9. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है। अतः संविलियन की अनुमति भी उल्लेखित न्यायालयीन निर्णय के अध्याधीन रहेगी ।
10. ऐसे सहायक अध्यापक जिन्हें तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित अन्तर जिला निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के जावक क्रमांक एवं दिनांक/सहमति के आधार पर संबंधित निकायों द्वारा अपने कार्यालयीन अभिलेख से सुनिश्चित करने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति मान्य रहेगी ।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 22/9/08

पृष्ठा. क्र./शिक./एडी/अजिनि संवि./61/2008/ 209

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. जिला-कलेक्टर,, हरदा एवं भोपाल मध्यप्रदेश ।  
निम्नानुसार संस्थाओं की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उपरोक्त अन्तर जिला निकाय संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा करने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति प्रभावशील होगी :-
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा एवं भोपाल मध्यप्रदेश ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, हरदा एवं भोपाल मध्यप्रदेश ।
6. जिला कोषालय अधिकारी, हरदा एवं भोपाल मध्यप्रदेश ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत, टिमरनी, जिला-हरदा मध्यप्रदेश ।
8. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् कोलार, जिला-भोपाल ।
9. संबंधित संकुल प्राचार्य (उपर्युक्त तालिका के कालम- एवं 4 में अंकित शाला/जिले अनुसार) मध्यप्रदेश की ओर उक्त निर्देशों के अतिरिक्त अपने संकुल में संविलियन किये सहायक अध्यापक की सेवापुस्तिका में संविलियन आदेश की पृष्टि सुनिश्चित करें तथा आवश्यक अभिलेखों की पृष्टि भी कर ली जावे । यदि कोई विपरीत स्थिति पायी जाती है तो संबंधित निकाय को आवश्यक अभिलेखों के साथ संविलियन निरस्तीकरण का प्रस्ताव उचित माध्यम से प्रेषित किया जावे ।
10. संबंधित -श्रीमती अनिता नंदमेहर सहायक अध्यापक नगर पालिका मावि टिमरनी जिला-हरदा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।

  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश